न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 9ए/2025 G.C.M.S. No. 2025/56 दर्ज दिनांक : 22.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. हरदान पुत्र पताराम
2. काला पुत्र जोधा
3. जबरा पुत्र केवा
4. दरगा पुत्र केवा
5. पारसा पुत्र केवा
6. रमेश पुत्र केवा
7. होका पुत्र केवा
8. हिमता पुत्र जोधा
9. भोमाराम पुत्र वेलाराम (फौत दिनांक–28.05.2021) के कायममुकाम वारिसान
   9/1 सावंलाराम पुत्र भोमाराम
   9/2 रडमाराम पुत्र भोमाराम
   9/3 रमेश पुत्र भोमाराम
   9/4 कोकू देवी बेवा भोमाराम
   9/5 मोवन पुत्री भोमाराम पत्नी मसराजी (जूंझाणी)
   9/6 पवनी पुत्री भोमाराम पत्नी हरचंद (जूंझाणी)
   9/7 पाबू पुत्री भोमाराम पत्नी पीनाजी (जूंझाणी)
   9/8 सगुरी पुत्री भोमाराम पत्नी मंगलाजी (नांदिया)
10. सुजी पत्नी केवा फौत दिनांक–18.06.2019 के कायम मुकाम वारिसान अपीलान्ट संख्या–3, 4, 5, 6, 7
   10/1 सोवन पुत्री केवाजी भील पत्नी घेवाजी (निम्बावास)
   जातियान भील निवासीगण नरसाणा, तहसील बागोडा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भैराराम पुत्र विसराराम
2. हंजाराम पुत्र विसरारामजी
3. हरचन्द पुत्र विसारामजी, जातियान भील निवासीगण नरसाणा, तहसील बागोड़ा
4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा धुम्बडीया तहसील बागोडा
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागौडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2018 बअनवान भैराराम बनाम हरदान में पारित आदेश दिनांक 07.07.2023

पैरोकार:–

1. श्री सरदार खान खोखर, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री खसाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक :29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2018 बअनवान भैराराम बनाम हरदान में पारित आदेश दिनांक 07.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

उपरोक्त अनवान के मुकदमें में अपीलान्ट्स की सुनवाई नहीं हो पायी। मुकदमा के दौरान प्रतिवादी भोमाराम की मृत्यु दिनांक 23.08.2021 को हो चुकी थी। इसके अलावा प्रतिवादी सजी देवी की मृत्यु दिनांक 16.06.2019 को हो चुकी थी। उपरोक्त दोनो प्रतिवादीगण की तरफ से उनके कानूनी वारिसान ने अपील पेश की हैं। रेस्पोडेन्ट एक से तीन द्वारा दिनांक–16.06.2019 व 23.08.2021 के बाद उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अधीनस्थ अदालत द्वारा मृतक के खिलाफ निर्णय फरमाया गया हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः हरदाना, माला व जबरा एवं प्रतिवादी संख्या 9 हिमता एवं 10 भोमाराम की तरफ से दिनांक 18.12.2021 को श्री वगताराम जी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया एवं दिनांक 04.01.2022 को उन्होने नो इंस्ट्रक्शन लिखा एवं उसी दिन आदेशिका में अदालत में बहस सुनकर वास्ते पत्रावली निर्णय में पेशी दे दी। इस प्रकार इस प्रकरण में सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 तक की सुनवाई नहीं हुई और न ही उनकी तरफ से बहस की गयी। दिनांक 22.06.2023 की आदेशिका में लिखा गया है कि पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। उसके बाद दिनांक–07.07.2023 को निर्णय अपीलान्ट के खिलाफ फरमाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के खेत व मकान में आने जाने का रास्ता अन्य दूसरा चलता हैं। बावजूद इसके यह नया रास्ता प्राप्त करने का प्रकरण गलत दर्ज करवाया गया हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के वकील वगतारामजी ने नो इंस्ट्रक्शन लिखा उसके पूर्व उनको प्रतिवादी संख्या–1 से 3 व 9 एवं 10 को कानूनी तौर पर नो इंस्ट्रक्शन प्लीड करने के लिए नोटिस देना था और प्राप्ति रसीद पेश करनी थी उसके बाद नो इंस्ट्रक्शन लिखना था। इस प्रकार वकील साहब की गलती का नुकसान अपीलान्ट्स को सीधा ही हो गया। जबकि भोमाराम की मृत्यु भी हो गयी। किसी भी पक्षकार द्वारा कायम मुकाम की लिस्ट कानूनी समय सीमा 90 दिन या उसके बाद पेश नहीं की गई। इस प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण की तमिल पूर्ण रूप से नहीं करवाई गयी हैं। व्यक्तिगत तामिल भी सभी प्रतिवादीगणकी नहीं हैं। हम अपीलान्ट्स के मकानात वहां पर आये हुए हैं और हम वहीं रह कर अपने खेतों में खेती

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करते हैं। यह रास्ता बनाने से हमारे रहकीय मकान टूट कर हमको भारी नुकसान होगा। राजस्व रेकर्ड में रास्ता हमारी खातेदारी से जाने का नहीं होने के बाद भी रास्ता की मांग की गई हैं जो हर सूरत में अवैधानिक हैं। इस प्रकरण में हमारी सुनवाई नहीं हुई और न ही हमसे कोई गवाह सबूत पेश हुए तमाम कार्यवाही एक तरफा हुई हैं। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज हैं कि अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय दिनांक–07.07.2023 निरस्त करने का आदेश करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने सरहद मौजा नरसाणा के खसरा नम्बर 1306 रकबा 6.27 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1955/1273, 1274 व 1275 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2023 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. सर्वप्रथम प्रार्थना धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का निर्णयन आवश्यक है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत थी। आदेशिका दिनांक 04.01.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण No Instruction Plead किया गया। इस बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण को तलब किए जाने बाबत कोई कार्यवाही किए बिना केवल अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनकर अपीलांट अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि यह सुस्थापित प्रक्रिया है कि न्यायालय में दौराने विचारण अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead किए जाने की दशा में न्यायालय द्वारा संबधित पक्षकारान को तलब किए जाने हेतु विधिवत तलबी की कार्यवाही किया जाना आज्ञापक है जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।
4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भोमाराम दिनांक 25.08.2021 को मृत्यु हो चुकी थी तथा मृतक सहित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में No

राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़

Instruction Plead अंकित किया जा चुका था। इसके बावजूद मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही किए बिना मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो काबिल अपास्त है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध भू अ नि की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.02.2019 से स्पष्ट है भू अ नि के द्वारा अप्रार्थीगण सूचित किए बिना उनकी गैर मौजदगी में मौके पर उपस्थित हुए बिना मौका रिपोर्ट तैयार की गयी तथा खसरा संख्या 1306 प्रार्थीगण की आराजी तक पहुच के लिए भीनमाल बागौड़ा सड़क मार्ग से अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1274, 1275 व 1955/1273 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो कि खसरा संख्या 1274 में स्थित आवासीय मकानो के ठीक आगे से प्रस्तावित किया गया है। जो कि निकटतम दूरी का विकल्प नहीं है, बल्कि उक्त आराजीयात के ठीक दक्षित में स्थित खसरा संख्या 1311, 1310, 1309 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे भीनमाल बागौड़ा मार्ग से खसरा संख्या 1306 की सीमा तक निकटतम दूरी का विकल्प भू–नक्शा से होना स्पष्ट है इसके बावजूद भू.अ. नि. द्वारा प्रार्थी की मांग अनुरूप अपीलांट की आराजी में से रास्ता प्रस्तावित किया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का इस्तेमाल किए बिना प्रार्थी की मांग एवं इसके अनुरूप भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत दुषित रिपोर्ट के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो काबिल अपास्त है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2018 बअनवान भैराराम बनाम हरदान में पारित आदेश दिनांक 07.07.2023 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में खसरा संख्या 1309, 1310 व 1311 के प्रभावित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु प्रार्थीगण को अवसर प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प मय दूरी एवं मौके की स्थिति दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रूप से निर्णित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागौड़ा में उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली